यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ के माह 07/2012 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री खुसी राम व.ले.प. श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.05.2017 से 09.05.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2013 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर-स्थापना	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2014-15	-	-	4.12	4.12
2015-16	-	-	4.84	4.84
2016-17	-	-	21.06	21.06

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)

(iii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक जनजाति कल्याण (स्रोत्र बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हे इकाई सी श्रेणी की है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 (i) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-01- विभागीय शिथिलता के कारण ₹ 499.72 लाख का निर्माण कार्य की लागत वृद्धि तथा समय वृद्धि की सम्भावना से इनकार नही किए जाने का प्रकरण पाया जाना।

Special plan Assistance (SPA) के अन्तर्गत निष्पादित कार्य सम्बन्धी Govt. Guidelines तथा Govt. order information निम्नवत् है-

Govt. Guidelines:-

(i) Such project-/ Schemes Should be proposed which may be completed with in one year. However if, the state Govt. tells that it is desirable to fund a specific project even though in will need money than one year to complete. The state government should yearly mention fund utilization, outcome & available balance of SPA for the project in the previous year.

(ii) The project should be developmental in nature & should not have recurring expenditure.

(iii) The project should be audit worthy with monitorable physical targets.\

Govt. Orders:- दिनांक 22.04.2016 के Directorate Higher Education के Minutes of meeting में निर्देशित किया जाना पाया गया कि " यदि किसी परियजोना (एस.पी.ए.) के अन्तर्गत-) में भूमि के उपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से गतिरोध उत्तन्न होता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशालय के अधिकारियों/शासन के अधिकारियों के संज्ञान में लाकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करावें। किसी भी दशा में आगणन के पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा तथा अनावश्यक कार्य बन्द पाये जना अथवा धीमा गति से कार्य होने की दशा में जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

Govt. Information:- उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड की कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका 2016-17 में पाया गया कि निर्मित भवन हेतु मुनस्यारी महाविद्यालय के पास भूमि है तथा भवन निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

कार्यालय राजकीय महाविद्यालय मुनस्यारी के SPA के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवन से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था" उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम" द्वारा किया जा रहा है। ग्राहक विभाग (रा.म. मुनस्यारी) द्वारा निर्माण कार्य हेतु धनराशि कार्यदायी संस्था को दिनांक 17/03/2016 को प्रेषित कर दिया गया था। निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि 09/2017 है। दिनांक 30/04/2017 तक निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 11% (13 महिने तक कार्य) है। जबकि Mou के अनुसार 30/04/2017 को कार्य 75% पूर्ण हो जाना चाहिए था। शेष कार्य पूर्ण करने हेतु 5 महिने की शेष है। अतः कार्य की भौतिक प्रगति को देखते हुए निर्माण कार्य में समय वृद्धि एवं लागत वृद्धि की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता। निर्माण कार्य के दौरान अनुरक्षण तथा संयुक्त निरीक्षण कार्य भी नहीं किया गया। अनुश्रवण न होने के कारण जो 11% भौतिक प्रगति हुई उसमे पायी जाने वाली विसंगतियों की चिन्हित नही किया गया। ग्राहक विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था से Security Deposit भी जमा नही करवाया गया। यदि अनुश्रवण तथा Security Deposit की कार्यवाही की गयी होती तो कार्यदायी संस्था को त्रुटि दूर करने व समय पर कार्य पूर्ण किए जाने हेतु बाध्य किया जा सकता था।

इस ओर इंगति किए जाने पर इकाई/कार्यदायी संस्था द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्य स्थल का संयुक्त निरीक्षण शीघ्र किया जायेगा तथा वर्तमान में लागत व समय वृद्धि की कोई सम्भावना नहीं है।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि अनुश्रवण व संयुक्त निरीक्षण नहीं किए जाने के कारण समय व लागत वृद्धि की संम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-02- अनियमित व्यय ₹ 13.54 लाख।

रुसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के तहत "Procurement Guidelines".
States would be required to procure act consumables, equipment, furniture fixtures etc. in accordance with the state procurement policy & relevant rules for government procurement applicable to the state.

Uttarakhand procurement rule 2008 जो राज्य में प्रभावी है, के नियम-9 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर ₹50,000.00 से अधिक तथा ₹3.00 लाख तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय विभागध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा सम्यक् रुप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रुप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या अधिप्राति क्रय प्रक्रिया में विशेष रुप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा जो अधिप्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा। यह क्रय समिति दरों की युक्तियुक्तता, गुणवत्ता तथा विशिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रुप से नियमानुसार विश्वसनीय और प्रश्नगत सामग्री को आपूर्ति करने में सक्षण है के सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा।

कार्यालय राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी की अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में रुसा के तहत Equipment, Furniture/furniture's के क्रय हेतु धनराशि ₹25.00 लाख महाविद्यालय को जारी की गयी। जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक ₹13.54 लाख व्यय किया जाना पाया गया। Procurement Rule के तहत न तो क्रय समिति गठित की गयी, न ही गुणवत्ता विशिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए बाजार सर्वे, न ही कोई ऐसा प्रमाण प्राप्त किया गया जो यह सुनिश्चित करें कि प्रतिभाग करने वाली किसी भी संस्था एजंसी से निजी हित संलिप्त नहीं है। आगे जाँच में पाया गया कि फर्म से सम्बन्धित तैयार की गयी Comparative Statement में संस्तुत प्रदान की गयी दर्ज सदस्यों का विवरण अंकित नहीं था।

इस और इंगति किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि महाविद्यालय में स्टाफ की भारी कमी होने के कारण/नियमों का पालन करने में देरी होती है।

उत्तर लेखापरीक्षा में तर्कसंगत नहीं पाया गया, क्योंकि संचालित रुसा स्कीम के तहत शासनकीय धन का व्यय के पूर्व Procurement rule पालन करने के स्पष्ट निर्देश जारी थे, फिर दिशानिर्देशों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से व्यय किया गया।

अतः प्रकरण उच्चतर अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- धनराशि ₹ 1,78,545 कॉशनमनी को अवरुद्ध रखे जाना का प्रकरण।

(अ) "कॉशनमनी" एक प्रतिभूति धनराशि है. जिसे अचानक महाविद्यालय छोडने वाले विद्यार्थियों से पुस्तकों इत्यादि की क्षतिपूर्ति के लिए लिया जाता है शिक्षण कार्य समाप्त होने के पश्चात छात्रो को यह धनराशि लौटा दी जाती है। अगर इस धनराशि को वापस छात्रों को नहीं दिया जा सके तो निदेशालय से दिशा-निर्देश प्राप्त कर इस धनराशि को छात्रहित में पुस्तकें क्रय कर (25% धनराशि से) व्यय किया जा सकता है।

राजकीय महाविद्यालय मुनस्यारी के कॉशनमनी सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2009-10 से कॉशनमनी की कटौती की जा रही है परन्तु इस धनराशि को न ही छात्रों को वापस किया गया और निदेशालय से भी इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा आपत्ति उठाए जाने पर महाविद्यालय ने उत्तर दिया कि कॉशनमनी छात्र/छात्राओं के महाविद्यालय छोड़ने के उपरांत आवेदन प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाता है। छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन नहीं प्रस्तुत करने के कारण मद में धनराशि जमा है। कॉशनमनी धनराशि को भविष्य में छात्र/छात्राओं के हित में खर्च किया जाएगा जैसे कि क्रिडा सम्बन्धी खर्चा कान्सिलिगं आदि।

महाविद्यालय का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि इस सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया अतः धनराशि ₹1,78,545 लाख कॉशनमनी की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	STAN
प्रथम लेखापरीक्षा			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-----------शून्य------------				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) रुसा केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत संचालित वृहद निर्माण कार्य की पत्रावली।

2. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री एम.बी. खरकवाल	प्राचार्य	04/2005 - 08/2005
2.	श्री प्रेम प्रकाश	प्राचार्य	08/2005 - 08/2012
3.	श्री डी.एस. पगाती	प्राचार्य	08/2012 - वर्तमान लेखापरीक्षा तिथि तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.